

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 17/3/26

विषय- विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ` 32,59,472/- (बत्तीस लाख उनसठ हजार चार सौ बहत्तर रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत

कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-01, पटना के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल ` 32,59,472/- (बत्तीस लाख उनसठ हजार चार सौ बहत्तर रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियायना आई.डी. संख्या	कार्य का नाम	स्वीफूरादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-01, पटना	29788	Renovation of canteen work in block-2 under vidhan mandal campus Patna for the Year 2025-26(part-1)	6949 / 01.12.25	11,90,467/- (ग्यारह लाख नब्बे हजार चार सौ सड़सठ रुपये)
2.		29789	Renovation of canteen work in block-2 under vidhan mandal campus Patna for the Year 2025-26(part-2)(double skin partition and false ceiling work)	6949 / 01.12.25	8,60,611/- (आठ लाख साठ हजार छः सौ ग्यारह रुपये)
3.		29790	Renovation of gas godown and cabinet works in canteen in block-2 under vidhan mandal campus Patna for the Year 2025-26	6949 / 01.12.25	12,08,394/- (बारह लाख आठ हजार तीन सौ चौरानवे रुपये)
					32,59,472/-

(बत्तीस लाख उनसठ हजार चार सौ बहत्तर रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-053-रखरखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001- अनुरक्षण और मरम्मत-मतदेय विपत्र कोड-03-2059800530001 के विषयशीर्ष-27-लघु कार्य-0001.27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मत अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-01, पटना होंगे।
- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जा रहा है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।